भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **5610**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

नई निवेश नीति

5610. श्री दुष्यंत सिंह:
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:
श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 2014 में इसके संशोधन ने यूरिया उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता में किस प्रकार योगदान दिया है;
(ख) सरकार द्वारा यूरिया तथा उर्वरक क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या यूरिया उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन देने पर विचार किया जा रहा है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की थी और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन

प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान की 207.54 एलएमटीपीए की कुल यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) बढ़कर वर्ष 2023-24 में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है।

सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, पीएण्डके उर्वरकों पर उनकी पोषक-तत्व मात्रा के आधार वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है, उर्वरक कंपनियों को तर्कसंगत स्तरों पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति है। उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात और निवेश करती हैं।

****